न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/02/2018	2018/00100	03–05–2018	16–01–2025

1. स्वर्ण सिंह पुत्र काकासिंह
2. सरजीत सिंह पुत्र काकासिंह
3. श्रीमती कुलवंत कौर पत्नी श्री ईश्वरसिंह पुत्री काकासिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासीयान मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर बहैसियत वारिस काविज जायदाद श्री काकासिंह पुत्र टेकसिंह।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. बलवीरसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी म.नं. 260 दाउदपुर अलवर।
   1/1–कुलवन्त कौर धर्मपत्नी स्व. श्री बलवीर सिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख
   1/2–दलजीत सिंह पुत्र स्व. श्री बलवीर सिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख
   1/3–गुरमीत कौर पुत्री स्व. श्री बलवीर सिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख
   निवासीयान मकान नंबर 260 दाउदपुर अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।
2. हरबंश सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
3. ईश्वर सिंह पुत्र इन्दरसिंह निवासी म.नं. 2/108 एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड, अलवर राज0।
4. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ जिला अलवर (राज0)

––रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ दिंनाक 23.04.2018

उपस्थितः–

01–श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अपी0
02–राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0 4
03–दीपक कुमार सिंद्ध –वकील रेस्पो0 1 से 3

निर्णय

अपीलान्ट्स ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, रामगढ के आदेश दिनांक 23.04.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार साहब कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ जिला अलवर द्वारा आदेश दिनांक 28–07.94 के द्वारा आराजी साबिक खसरा नमबर 7 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 15 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मुबारिक पुर बेजा तोर पर रेस्पाडेन्ट सं. 1 ला. 3 व उसकी माता श्रीमती सीतावती के नाम पटटा जारी किया गया, जिसमें सीतावती पत्नी इन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिसकी अपील मिन अपीलान्ट द्वारा श्रीमान के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 20–08–2005 को खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर के यहां अपील दायर की गई जो दिनांक 22–05–2008 को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ को समक्ष रिमाण्ड इस आधार पर की गई कि वह दोनो पक्षो को पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना नही करते हुए दिनांक 23–04–2018 को निर्णय पारित कर पुनः रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 28.07.1994 की

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पुष्टि की गई। जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न तथ्यों से पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अनुपालना में निर्णय पारित नही किया है। दिनांक 02–11–2012 को अपीलान्ट सुरजीतसिंह के बयान तहसीलदार साहब रामगढ की न्यायालय में हुए थे जो समयाभाव के कारण डेफर कर दिये गये थे जो बदस्तूर डेफर चले आ रहे थे । अपीलान्ट सरजीत अन्य गवाहन के साथ नियमित रूप से प्रत्येक पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई बयान नहीं लिये गये और इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है तथा मिन अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है नाही जुवानी साक्ष्य ली गई है और नाही दस्तावेजी साक्ष्य का अवसर प्रदान किया है। विवादित्त आराजी सन् 1950 सम्वत 2004 में शरणार्थी विभाग मरत्य कस्टोडियन विभाग द्वारा काकासिंह को आवंटन की गई थी तथा आवंटन के पश्चात कब्जा प्रदान किया गया तथा काकासिंह अपने जीवनकाल में विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे उनके स्वर्गवास के पश्चात मिन अपीलान्ट काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। कानूनन जब आराजी को एक बार आवंटन कर दिया जाता है तो पुनः आवंटन नही किया जा सकता है तथा नाही उक्त आवंटन किसी सक्षम अदालत के आदेश से निरस्त किया गया है। रेस्पाडेन्टान को पटटा जारी करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को जारी किया गया आवंटन को निरस्त करने बावत कोई नोटिस भी नहीं दिया है और ना ही कोई उजदारी प्राप्त की है। उक्त पटटा अपीलाण्ट को बिना कोई सूचना जारी दिये व बिना नोटिस जारी किये किया गया है। आवंटन से पूर्व व आवंटन के बाद कभी भी रेस्पाडेन्टान का कब्जा नही रहा है जो कि पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 21.09.2011 व 28.07.2017 के मुताबिक मिन अपीलान्टान का कब्जा साबित है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर नही किया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी नजीरात पर भी कोई गौर नहीं किया है ना ही माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्देशों की पालना में अपना निर्णय पारित किया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमती पार्वती कौर का स्वर्गवास दिनांक 19–12–2009 को हो चुका है जिसके वारिसा पूर्व से ही रिकार्ड पर है जो कि मिन अपीलान्ट हैं इसलिए उक्त अपील में पार्वती कौर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि न्यायालय तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर राज०. का आदेश दिनांक दिनांक 23–04–2018 निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1980 1 48 PARA C, RRD 1983 1 64 PARA A, RRT 2020(I) 1 24, RRT 2009-10 (SUPP.) 1 143, RRD 1978 1 47, RRD 1975 1 221 पेश किये गये हैं।

अपीलाण्ट ने प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत किया जो प्रा0पत्र माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये गये। जिसमें अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील के पक्ष में जमाबंदी संवत् 2015 खतौनी संख्या 261 में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि काकासिंह को अलोटी 10 साल अंकित किया हुआ है। खसरा गिरदावरी संवत 2032 ल0 2035 में अपीलाण्ट के पिता काकासिंह पुत्र टेकसिंह ब्राह्मण सिख सा0 देह कॉलम नं0 16 में दर्ज रिकॉर्ड है। शरणार्थी विभाग की अलाटमेंट खतौनी संवत 2004 में आराजी खसरा नंबर 7 काकासिंह पुत्र टेकसिंह के नाम दर्ज है व रिपोर्ट पटवारी मौका जॉच रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2017 को मंगवाई गई थी, जिसमें भी अपीलाण्ट के कब्जा काश्त व मौके पर फसल होना दर्ज किया है व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.09.2011 में भी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त दर्ज है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 23.04.2018 पारित किया है। मिन रेस्पो0 सं0 1 ला0 3 का कब्जा है व उन्हें विधिवत रूप से आराजी का सनद् पट्टा जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाए। अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही कर दिनाक 23.04.2018 को निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना नोटिस जारी किये उक्त आदेश पारित किया गया है। उक्त विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता काकासिंह को आवंटन हुई थी, जिसमें खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा जमाबंदी संवत 2015 में काकासिंह को अलोटी 10 साल अंकित किया हुआ है एवं खसरा गिरदावरी सवंत 2032–35 में अपीलाण्ट के पिता काका सिंह कॉलम नं0 16 में दर्ज रिकॉर्ड है। शरणार्थी विभाग की अलाटमेंट खतौनी संवत 2004 में आराजी खसरा नं. 7 काकासिंह के नाम दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने काकासिंह व उसके वारिसान को बगैर सुने उनके पीछे से इन्दर सिंह को पट्टा जारी किया है जो मेरी राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.04.2018 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 23.04.2018 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के हक में खातेदारी का सनद् पट्टा जारी किया जावे और अपीलाण्ट को खातेदारी दी जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)